an>

Title: Introduction of the Underprivileged, Orphan, Vagabond and Other Street Children (Prevention Of Abuse, Rehabilitation And Welfare) Bill, 2015. (motion adopted)

भू निभिक्तान दुबे (गोड्डा): महोदय, मैं पूरताव करता हूं कि अनाथ, आवारा, घर से भागे हुए और अन्य निराभूित बातकों के साथ दुर्व्वहार और उनके भोषण का उत्तंघकर्ताओं के लिए भयकारी दंड का उपबंध करके निवारण करने और संघ तथा राज्य सरकारों द्वारा ऐसे बातकों, जो सामान्यतः कूड़ा बीनकर, भीख मांगकर, जूते पॉतिश करके, कुम्हार के रूप में कार्य करके, कताबाजी करके अपना निर्वाह करते हैं अथवा जो चोरी, जेबतराशी, इपटमारी, तरकरी, वेश्यावृत्ति जैसे अपराधों में संतिप्त होने तथा अप्राकृतिक कार्य करने को विवश हैं, को अपनी, अभिरक्षा में ते कर और उन्हें आश्र्य, देखभात, संरक्षण, शिक्षा, चिकित्सीय देखभात, व्यावसायिक प्रभिक्षण इत्यादि पूदान करते हुए उनके लिए पुनर्वास और अन्य कल्याणकारी उपाय किए जाने तथा उससे और उसके आनुपंगिक विषयों का उपबंध करने वाते विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. DEPUTY SPEAKER: The guestion is:

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for the prevention of abuse and exploitation of orphan, vagabond, runaway and other street children by providing deterrent punishment for the violators and for rehabilitation and other welfare measures to be undertaken by the Union and the State Governments for such children who usually subsist on rag picking, begging, shoe polishing, working as potters, performing acrobatics or who are forced to indulge in crimes like stealing, pick pocketing, snatching, smuggling, prostitution, education medical care, vocational training, etc., and for matters connected therewith and incidental thereto."

The motion was adopted.

श्री निशिकान्त दुबे**:** महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

15.51 hrs

COMPULSORY VOTING BILL, 2014 - Contd.